सम्पादक के नाम

प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मोदी सऊदी प्रिंस के गले पड़ गए

जो प्रिंस सुलेमान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बता रहे थे, उनके लिये पुलवामा हमले को बिसराते हुए मोदी रेड कारपेट बिछा रहे हैं। यह तिज़ारत जो न करवाए कम है......... जी हाँ इसमें सियासत का रोल कम है और तिजारत का ही असली खेल है।

मोदी जी की यह प्रिंस से दूसरी मुलाकात है। प्रिंस से मोदीजी ब्यूनर्स आयर्स में तब मिले थे जब प्रिंस मुहम्मद बिन सुलेमान पर अमेरिकी पत्रकार खशोजी की हत्या का आरोप सुर्खियों में था, विश्व का कोई नेता उनसे मिलना पसंद नही कर रहा था। इस मुलाकात में अजित डोभाल का अहम रोल था....

यह एक तरह का नेक्सस है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल, प्रिंस ओर सऊदी के शाही खानदान के विश्वस्त बने हुए हैं। सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहते हैं और मोदी जी को सऊदी अरब के शाह सलमान ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाज देते हैं।

सऊदी डिप्लोमैट के नेपाली महिलाओं के साथ रेप करने के मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी भी डोभाल जी को सौंपी जाती है और वही उन डिप्लोमेट को बिना कानूनी कार्यवाही के भारत से बाहर निकलने का सेफ पैसेज दिलवा देते हैं। बदले में डोभाल के पुत्र सऊदी अरब के अमीर शेखों के सपोर्ट से कम्पनी बनाते हैं जिसमे उनका बिजनेस पार्टनर सऊदी राजकुमार है, तो दूसरा पार्टनर सैयद अली अब्बास एक पाकिस्तानी है।

आप पूछ सकते हैं कि इस सारे खेल में सऊदी का क्या फायदा ? दरअसल सदियों से बन्द समाज माने जाने वाला सउदी अरब अब बदलाव के दौर में है, प्रिंस भी जानता है कि यह तेल का धंधा ज्यादा सालो तक चलने वाला नही है। जब दक्षिण अफ्रीका की जमीन से भूमिगत जल लगातार दोहन से गायब हो गया तो थोड़े दिनों में तेल के कुँए भी खाली हो जाएंगे, प्रिंस का शाही खानदान अब चाह रहा है कि सऊदी निजी निवेश आधारित अर्थव्यवस्था बने। कुछ महीनों पहले सऊदी अरब सरकार ने अपनी कंपनी सरकारी तेल कम्पनी अरामको के लिए दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने का ऐलान किया था। यह आईपीओ सऊदी अरब के प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट था।

बाद में इस ऐलान को वापस लेना पड़ा, इसके पीछे उनकी दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स से करीब 7 लाख करोड़ फंड जुटाने की योजना थी, लेकिन निकट भविष्य में यह IPO आएगा ही ओर प्रिंस का भारत का दौरा भी इसी की एक कड़ी है।

दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको भारत के महाराष्ट्र की 44 अरब डॉलर लागत वाली रिफाइनरी सह पेट्रोरसायन परियोजना में 50% हिस्सेदारी खरीदने की बात कर रहीं हैं, यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, साथ ही वह भारत में फ्यूल रिटेलिंग की अनुमति भी चाह रही है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत मे इस क्षेत्र में कौन सी कम्पनी कार्यरत है ......वह कम्पनी है रिलायंस....

अब सबसे कमाल की बात समझिए। प्रिंस ने पाकिस्तान में करार में भारी निवेश की बाते की है। वह सारे करार पेट्रोलियम रिफाइनिंग, Liquified Natural Gas (LNG) और खनिज विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और पुलवामा हमले के ठीक 1 दिन बाद रिलायन्स पाकिस्तान की आईपीएल जैसी स्पर्धा PSL में स्पॉन्सर बन गयी है....कुछ बुझाया......

यह इस हाथ ले और उस हाथ दे की बात है। पाकिस्तान में रिलायंस सऊदी प्रिंस की गारंटी पर आगे बढ़ेगी और भारत मे मोदी सऊदी की गारंटी बनेंगे।

वैसे इन सब बातों से आपको को क्या? आप लगे रहिए दो रुपए का कच्चा दूध और पाकिस्तान की......

– गिरीश मालवीय

शक और गहरा हो रहा है !

उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में उन्मादी नारों के साथ जुलूस निकल रहे हैं ! और नारे कुछ इस प्रकार के लग रहे हैं और तख्तियों पर लिखे गए हैं कि–

- 'हमें नौकरी नहीं बदला चाहिए',
- 'हम भूखों रह लेंगे पर मोदीजी, बदला लो',
- 'आम चुनाव रोक दो, पाकिस्तान को ठोंक दो',
- 'पाकिस्तान की माँ की ...',
- 'देश को बचाओ; मोदीजी को फिर से लाओ'... !

स्कूली बच्चे भी तख्तियाँ लेकर जुलूस निकाल रहे हैं I इनमें सरस्वती शिशु मंदिरों के बच्चों के साथ ही प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बड़े पैमाने पर शामिल हैं ! इन प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट से, ब्र्ह्मक्क के नेता जुलूस निकलवाने के लिए कह रहे हैं ! इन जुलूसों में मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तान-परस्त बताते हुए भी नारे लगाए जा रहे हैं ! मुस्लिम आबादी की बस्तियों से गुजरते हुए जानबूझकर तनाव उकसाने और आतंक पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं !

'जी न्यूज़', 'आजतक', 'रिपब्लिक टीवी, 'सुदर्शन, आदि चैनल तो दिन-रात ज़हर उगल रहे हैं ! भाड़े के साइबर प्रचारकऔर साइबर गुंडे सक्रिय हो गए हैं ! व्हाट्सअप आदि के जरिये अफवाहों और फासिस्ट प्रचारों का घटाटोप फैला दिया गया है !

देहरादून, उदयपुर, बिहार और देश के कई शहरों में कश्मीरी छात्रों और दुकानदारों पर हमले तो पुलवामा के दूसरे दिन ही शुरू हो गए थे ! जम्मू की मुस्लिम बस्तियों पर भी हमला उसी दिन हो गया था ! मोदी सहित भाजपा के नेता अगले ही दिन से धुआँधार रैलियों में जुट गए थे. CRPF के शहीद हुए जवानों की लाशों के साथ कई भाजपा नेताओं ने बाकायदा रोड शो किये ! उन्मादी देशभक्ति का प्रेत उन आम घरों के अधिकांश लोगों के सिर पर भी चढ़कर नाच रहा है जो जी.एस.टी. , नोटबंदी, रिकार्डतोड़ बेरोज़गारी और आसमान छूती मँहगाई से बेहद परेशान थे और मोदी सरकार को गालियाँ दे रहे थे!

राममंदिर का मामला फुस्स हो गया था, 'हिन्दू' अखबार के भांडा फोड़ने के बाद रफ़ालगेट से चेहरे पर कालिख पुत चुकी थी, सी.बी.आई. काण्ड से भी खूब भद्द पिटी थी, महागठबंधन और प्रियंका के राजनीति में उतरने से माहौल बदलने की चिन्ताएँ भी थीं, लोग भाजपाइयों को सड़कों पर घेरकर 15 लाख वाले जुमले के बारे में पूछते थे !

पर अब ये सारी बातें कहीं नेपथ्य में चली गयी हैं ! पुलवामा की घटना के बाद भाजपाइयों के चेहरे खिले हुए हैं ! एक बार फिर यह साबित हो रहा है कि अंधराष्ट्रवादी उन्माद ही फ़ासिस्टों का अन्तिम शरण्य और अन्तिम अस्त्र होता है ! बुर्जुआ राष्ट्रवाद के इस विकृत-खूनी रूप के आगे अन्य बुर्जुआ पार्टियों के बुर्जुआ राष्ट्रवाद का रंग काफ़ी फीका पड़ जाता है और वे भी अपने को 'देशभक्त' साबित करने के लिए अपने सारे मसलों को आलमारी में बंद कर देने को विवश हो जाते हैं !

सोशल डेमोक्रेट भी या तो 'देशभक्ति' की लहर में बहने लगते हैं या इस डर से चुप्पी साध लेते हैं कि उन्हें देशद्रोही क़रार दे दिया जाएगा, या सीधे गलत चीज़ पर उंगली उठाने की जगह मिमियाकर और घुमाफिराकर कूट भाषा में बात करने लगते हैं !

याद कीजिए ! अमरनाथ यात्रियों पर हमला भी चुनावों के ठीक पहले हुआ था! उरी की घटना भी चुनावों के ठीक पहले हुई थी ! इसलिए शक तो होता ही है ! जिसे नहीं होता, वह न तो इतिहास के बारे में कुछ जानता है, न ही फासिस्टों की कार्य-प्रणाली के बारे में ! आ रही है बात समझ में ? जिनके आ रही है, वे तो कम से कम जाग जाएँ और इन बातों को सभी संभव माध्यमों से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचायें ! अरे, कम से कम इस पोस्ट को तो शेयर करके, ग्रुपों में डालकर और अन्य माध्यमों से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइये ! सिर्फ़ लाइक करके मत रह जाइए !

– विजय सिंह

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से झारखंड के 28 हजार आदिवासी परिवारों पर बेघर होने का खतरा

विशद कुमार

20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले ने देश के 11 लाख से अधिक आदिवासियों का जीने का अधिकार छीन लिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के जंगलों में रहने वाले 27,809 आदिवासी परिवारों सहित 298 अन्य पारंपरिक रूप से जंगल में निवास करने वाले परिवारों के समक्ष आजीविका के साथ-साथ का बेघर होने का खतरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को लिए गए एक अहम फैसले का लिखित आदेश 20 फरवरी को सुनाते हुए 21 राज्यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की जमीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्जे ? की स्थिति को सामने लाए और इलाका खाली करवाए जाने के बाद की स्थिति को दर्ज करवाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान से देश का प्रगतिशील व जनवादी वर्ग भौचक रह गया है।

बता दें कि 2006 में पास हुए वन अधिकार कानून के तहत 2005 से पूर्व वन क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जमीन और आवास पट्टा देने की बात की गयी थी। जिसके तहत जंगल में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को चार एकड़ भूमि देने का प्रावधान किया गया था।

इसके बाद ग्रामसभा के अनुमोदन पर झारखंड के 1,07,187 आदिवासी परिवारों एवं 3569 अन्य पारंपरिक वन निवासियों द्वारा जमीन के पट्टा के लिए सरकार के समक्ष दावा पेश किया गया था। इसमें वन विभाग की ओर से 27,809 आदिवासी परिवार के दावों और अन्य 298 पारंपरिक वन निवासी के दावों को खारिज कर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर झारखंड में 28,107 जंगल में निवास करने वाले परिवारों को वन क्षेत्र से निकाले जाने का आदेश परित किया गया है। पूरे देश की चर्चा करें, तो देश के 16 राज्यों के वन क्षेत्र में बसने वाले कुल 11,27,446 आदिवासी व अन्य वन-निवास के दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। जबकि पांच राज्यों के आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 16 राज्यों, जिसमें झारखंड भी शमिल है, के वनवासी परिवारों को बेदखल करने का आदेश दिया। इस फैसले से 16 राज्य के 11 लाख से अधिक परिवारों की अजीविका और आवास का संकट पैदा हो गया है। शीर्ष अदालत ने 13 फरवरी को वन अधिकार अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि नए कानून के तहत पारंपरिक वनक्षेत्रों से संबंधित दावों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इस अभूतपूर्व फैसले को जस्टिस अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 की वैधता को चुनौती देने वाली दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। इन संगठनों में वाइल्ड लाइफ फर्स्ट नाम का एनजीओ भी शामिल है। पीठ ने राज्यों को आदेश दे दिया कि वे 27 जुलाई तक उन सभी आदिवासियों को बेदखल कर दें जिनके दावे खारिज हो गए हैं। इसके साथ ही पीठ ने इसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को भी कहा है।

अदालत ने कहा है कि— राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि जहां दावे खारिज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं, वहां सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले निष्कासन शुरू कर दिया जाएगा। अगर उनका निष्कासन शुरू नहीं होता है तो अदालत उस मामले को गंभीरता से लेगी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई है। इस तारीख तक राज्य सरकारों को अदालत के आदेश से आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का काम शुरू कर देना होगा।

वहीं जिन राज्यों ने अदालत को अभी तक ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है उन्हें उपलब्ध कराने को कहा गया है। उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद यह संख्या बढ़ भी सकती है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में पास होने वाले वन अधिकार अधिनियम के तहत सरकार को निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध आदिवासियों और अन्य वनवासियों को पारंपरिक वनभूमि वापस सौंपना होता है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में पास होने वाले इस अधिनियम का वन अधिकारियों के साथ वन्यजीव समूहों और नेचुरलिस्टों ने भी विरोध किया था। वहीं जनजातीय समूह मानते हैं कि उनके दावों को कुछ राज्यों में व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। वहीं कई राज्यों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं जहां समुदायिक-स्तर के दावों को स्वीकार करने को लेकर भी गति बहुत धीमी है।

वनाधिकार अधिनियम को इस उद्देश्य से पारित किया गया था ताकि वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त किया जा सके। इस कानून में जंगल की ज़मीनों पर वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी जिसे वे पीढ़ियों से अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे। स्वयंसेवी संगठनों ने इस कानून को चुनौती दी थी और वनवासियों को वहां से बेदखल किए जाने की मांग की थी।

झारखंड वन अधिकार मंच संयोजक मंडली के सदस्य जार्ज मोनोपोली, सुधीर पाल और संजय बसु मल्लिक का मानना हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट 2006 के वनाधिकार कानून की मूल भावना तथा 'ऐतिहासिक अन्याय' को फिर से बहाल करने वाला है। वनाधिकार कानून के तहत दावों की प्रक्रिया को समाप्त किये बगैर बेदखली असंवैधानिक है। यह नियमगिरि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट के खिलाफ है। नियमगिरि के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्थापना दी है कि जब तक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही व भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है।

मामले पर जनजाति समूहों का कहना है कि कई मामलों में दावों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि इसकी नए अधिनियम के तहत समीक्षा होनी चाहिए जिसे जनजाति मामलों के मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के रूप में लाया था। कानून के तहत उन्हें अपने आप बाहर नहीं निकाला जा सकता है और कुछ मामलों में तो जमीनें उनके नाम पर नहीं हैं क्योंकि वे उन्हें पैतृक वन संपदा के रूप में मिली हैं।

वहीं याचिकाकर्ता बेंगलुरु स्थित वाइल्ड लाइफ फर्स्ट जैसे कुछ गैर-सरकारी संगठनों का मानना है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और इसकी वजह से जंगलों की कटाई में तेजी आ रही है। उनका कहना है कि अगर यह कानून बचा भी रह जाता है तब भी दावों के खारिज होने के कारण राज्य सरकारें अपने आप जनजाति परिवारों को बाहर कर देंगी।

झारखंड वन अधिकार मंच ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट गठजोड़ का परिणाम है। केंद्र सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं हुई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पिछली चार तारीखों में केन्द्र सरकार ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण केन्द्र सरकार वनाधिकार कानून 2006 को सुरक्षित रखने में न्यायालय में विफल साबित हो। केन्द्र का रवैया इस मुकदमें में अगंभीर, लापरवाही भरा और कारपोरेट के लिए मदद करने जैसा था। इसके प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार वनाधिकार कानून को निष्प्रभावी बनाने के पक्ष में है।

हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दखल दे व पुनरावलोकन याचिका दायर कर वन भूमि पर रह रहे आदिवासियों एवं अन्य परम्परागत समुदस्यों के अधिकारों की रक्षा करे। निरस्त मामलों पर ग्रामसभाओं को पुनर्विचार का निर्देश केन्द्र सरकार दे और ग्रामसभाओं की अनुशंसाओं के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाये। विभिन्न राजनीतिक दलों से हमारी अपेक्षा है कि वे सरकार और कॉरपोरेट के गठजोड़ को बेनकाब करें तथा आदिवासियों और अन्य परम्परागत समुदायों की हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाएं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि झारखण्ड का 29 फीसदी हिस्सा जंगल है लगभग 7 मिलियन आदिवासी और 3 मिलियन गैर आदिवासी (विशेषकर गरीब और कमजोर तबके के आबादी) लोगों की आजीविका और अस्तित्व वन पर निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 50 प्रतिशत लोग में इनकी आबादी 75 फीसद है। जंगल की जमीन पर ये खेती करते है, तेन्दु पत्ता, महुआ, साल बीज, इमली, आमला, चिरोंजी, चिरैता, वन तुलसी, आदि इनकी जिंदगी के हिस्से हैं। 2005-06 में राज्य की सकल घरेलु उत्पाद में वन का योगदान 1.3 प्रतिशत था। यह फैसला लोगों की आजीविका, वनों के संरक्षण और संवर्धन पर नकारात्मक असर डालेगा। न्यायालय के आदेश आने के बाद झारखंड के तीस हजार से अधिक परिवारों के समक्ष आजीविका और आवास का संकट हो जाएगा। झारखंड वनाधिकार मंच ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण माना है।

वन अधिकार के कार्यकर्ता फादर जार्ज कहते हैं झारखंड में वन अधिकार कानून के तहत पट्टा देने में सरकार कोताही बरत रही है। ग्रामसभा के द्वारा पास किये गये दावे में अनुमंडल और जिला स्तर पर कटौती कर दी जाती है। ग्रामसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। जबकि दावे को निरस्त करने में ग्रामसभा की राय लेना जरूरी है। वन विभाग की ओर से राज्य में जितने पट्टे दिये गये हैं, उन दावों में भी भूमि का रकबा कम करने का खेल विभाग के द्वारा किया गया है। दावे को खरिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रभावित होने वाले राज्यों की तस्वीर

आंध्र प्रदेश	66,351
असम	27,534
बिहार	4354
छत्तीसगढ़	20095
गोवा	10130
गुजरात	182869
हिमाचल प्रदेश	2223
झारखंड	28107
कर्नाटक	176540
केरल	894
मध्य प्रदेश	354787
महाराष्ट्र	22509
ओडिशा	148870
राजस्थान	37069
तमिलनाडु	9029
तेलंगाना	82075
त्रिपुरा	68257
उत्तराखंड	51
उत्तर प्रदेश	58661
बंगाल	86144
कुल खारिज दावे, पांच राज्यों को जोड़कर	13,86,549